

का.आ.सं.ईडी/ 6 / 2021

सं.ईडी/890/एमडी/02 स्वास्थ्य निरीक्षक

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम

दिनांक 06.01.2021

कार्यालय आदेश

**विषय :-** ग समूह में नियुक्ति स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक वेतनमान रु. 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-6) चिकित्सा विभाग रतलाम मंडल।

**संदर्भ :-** 1. महाप्रबंधक स्था.चर्चगेट के पत्र सं. E(R&T)890/4/2/Vol.IV दिनांक 18.12.2020  
2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.01.2021 ।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा RRB/ADI से चयनित होकर रतलाम मंडल को आवंटित उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक वेतनमान रु. 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-6) के पद पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर इन्हें स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक के पद पर वेतनमान रु. 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-6) में वेतन रु.35400/- प्रतिमाह एवं अन्य भत्तों सहित नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सामने दर्शाये गये स्टेशन / यूनिट पर पदांकन किया जाता है।

नाम सर्व श्री	समुदाय	जन्म दिनांक	चिकित्सा प्रमाण पत्र सं. दिनांक व कोटि	नियुक्ति पर पदांकन स्टेशन / यूनिट
रामकेश मीना पुत्र श्री तुलसी राम मीना	अजजा	15.07.1993	A 522828 , 24.09.2019 , C-1 , ACMS - SBI	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रतलाम

**शर्त :-**

1. इनका पदांकन प्रथम नियुक्ति के लिए भारतीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा इनके चरित्र व पूर्ण घोषणा सत्यापन हो इस शर्त पर किया जाता/जा रहा है। यदि इनके द्वारा की गयी घोषणा / रिपोर्ट गलत पायी जाती है तो इनकी सेवाए बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त की जा सकती है।
2. इनकी प्रस्ताविक नियुक्ति अस्थाई है इनकी सेवा 14 दिन की सूचना पर या उनके बदले वेतन देकर समाप्त की जा सकती है स्थाईकरण पर इनकी नियुक्ति के बाद इनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा स्थाईकरण के लिये निहित अवधि पूरी कर लेने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।
3. इनका स्थानांतरण इस रेलवे के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है सरकार रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा घोषित विभिन्न नियमों से आप शासित होंगे।

---लगातार---

4. आपको भारत के प्रति निष्ठावान तथा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई गयी है, जिसका पालन करना आपकी ड्यूटी है।
5. यदि भविष्य में पाया गया की आपकी एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
6. उपरोक्त पदो पर नियुक्ति प्रत्येक कर्मचारियो को जरूरत होने पर प्रादेशिक सेना की रेल इंजीनियरिंग की यूनिट सेवा एवं रिजर्व सेना में क्रमशः 07 व 08 वर्ष नौकरी हेतु समय-समय पर सूचित किये जाने पर इस अवधि के लिए नौकरी करना होगी। इसके अलावा जब कभी भी जरूरत पडने पर प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोर्स की ट्रेनिंग में नियुक्त करने पर आपको जाना पडेगा।
7. रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.02.2004 के पत्र सं. 2004/ एसों/11/221/आरबीई.सं.05/04 के द्वारा घोषित नई पेंशन नियमो में आप शामिल होंगे जो कि दिनांक 01.01.2004 से प्रभावशील है।

इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।  
कार्यग्रहण करने की सूचना सर्वसंबंधित को देवे।

(दीपक परमार)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते-मंडल रेल प्रबं.(स्था.)रतलाम

**प्रतिलिपि :-**

वरिमंविप्रबं./मुचिअ,अमुचिअ प्रशासन रतलाम,  
मुकाअ- वेतन,ईडी,निपटारा/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक रतलाम।  
लिपिक-पास,अवकाश,आवास,सेपु,वेवृ.,ईडी, संबंधित कर्मचारी।  
मंडल मंत्री- वे.रे.म.संघ / वे.रे.ए.यूनियन/ एससी-एसटी एसो./ ओबीसी एसो.रतलाम।  
उक्त आदेश e-समाधान एप पर उपलब्ध है।